न्यायालयः— व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2 बैहर के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.) (पीठासीन अधिकारीः—सिराज अली)

<u>व्यवहार वाद क्रमांक—84 ए/2014</u> <u>संस्थापन दिनांक—07.08.2014</u> <u>फाईलिंग क.234503003972014</u>

श्रीमती सम्हारोबाई पति बखरू धुर्वे, उम्र—50 वर्षे, जाति गोंड, निवासी—ग्राम खुर्शीपार, तहसील बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

- <u>वादी</u>

<u>विरुद्ध</u>

1—शिवदयाल पिता धन्नूसिंह, उम्र—50 वर्ष, जाति गोंड, निवासी—ग्राम खुर्शीपार, तहसील बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

2—मध्य प्रदेश राज्य तर्फे कलेक्टर बालाघाट, जिला—बालाघाट (म.प्र.) — — — — — — — **प्रतिवादीगण**

-:// <u>निर्णय</u> //:-<u>(आज दिनांक-02/12/2015 को घोषित)</u>

- 1— वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह व्यवहार वाद मौजा खुर्शिपार प.ह.नं. 52, रा.नि.मं. गढ़ी तहसील बैहर, जिला बालाघाट स्थित खसरा नम्बर 38/2, रकबा 2.00/0.809 हेक्टेअर भूमि (जिसे आगे विवादित भूमि से संबोधित किया जावेगा) पर स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया है।
- 2- प्रकरण में महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य कुछ नहीं है।
- 3— वादी के अभिवचन संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादित भूमि वादी के स्वत्व एवं आधिपत्य की है, जो उसे भू—दान यज्ञ बोर्ड से प्राप्त हुई थी और उस पर वादी विगत 25—30 वर्षों से शांतिपूर्वक काबिज कास्त चली आ रही है। उसने इस वर्ष भी विवादित भूमि पर धान की बुवाई कर मजदूरों के साथ रोपाई

कर रही थी, तो दिनांक—01.08.2004 को प्रतिवादी क्रमांक—1 ने उसे गाली—गलौज करते हुए विवादित भूमि पर कब्जा करने की धमकी दिया। घटना की शिकायत पुलिस थाना गढ़ी में वादी के द्वारा की गई। प्रतिवादी क्रमांक—1 के द्वारा वादी के आधिपत्य वाली विवादित भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। वादी ने प्रतिवादी क्रमांक—1 के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है।

प्रतिवादी क्रमांक-1 ने वादपत्र के संपूर्ण अभिवचन से इंकार करते हुए लिखित कथन में अभिवचन किया है कि विवादित भूमि पर प्रतिवादी कमांक-1 का वर्ष 1991 से निरंतर कब्जा चला आ रहा है और वह फसल प्राप्त कर रहा है। वादी विवाहित होकर ग्राम बहेराखार चले गई थी, जहां वह निवास करते रही। विवादित भूमि पर उसका कभी भी कब्जा नहीं रहा है। विवादित भूमि बर्रा किरम की उबड़-खाबड़ पड़त भूमि थी, जिसे प्रतिवादी क्रमांक-1 ने कास्त योग्य बनाया। इस बात की जानकारी वादी को रही है, किन्तु वादी ने प्रतिवादी क्रमांक-1 के द्वारा विवादित भूमि से फसल प्राप्त किया जाने लगा तो वर्ष 2006 में प्रतिवादी क्रमांक-1 को वादी ने खेती करने से मना किया और तहसीलदार बैहर के न्यायालय में कब्जा वापस प्राप्त करने के लिए आवेदन पेश किया। उक्त आवेदन निरस्त होने पर वादी ने वर्ष 2012 में एक आवेदन धारा-145 द.प्र.सं. के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी बैहर के समक्ष पेश किया, जिस पर दिनांक-26.04.2013 को यह आदेश पारित किया गया कि प्रतिवादी कमांक-1 का विवादित भूमि पर कब्जा है और वादी उस पर कोई दखल नहीं देगी। उक्त आदेश को वादी के द्वारा चुनौती न दिए जाने से आदेश वादी पर बंधनकारी है। वादी के द्वारा वाद समय अवधि बाह्य पेश किया गया है। अतएव वादी का दावा निरस्त किया जावे।

5— प्रकरण में प्रतिवादी कमांक—2 एकपक्षीय है तथा उसकी ओर से लिखित कथन पेश नहीं किया गया है।

उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर प्रकरण में निम्नलिखित वादप्रश्न विरचित किये गये, जिनके निष्कर्ष उनके समक्ष निम्नानुसार अंकित है :—

क्रं.	वाद-प्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या मौजा खुर्शिपार प.ह.नं. 52, रा.नि.मं. गढ़ी तहसील बैहर जिला बालाघाट स्थित खसरा नम्बर 38 / 2, रकबा 2.00 / 0.809 हेक्टेअर भूमि पर वादी के आधिपत्य में प्रतिवादी क्रमांक—1 अवैध रूप से हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रहा है ?	प्रमाणित नहीं
2	सहायता एवं व्यय ?	निर्णय की अंतिम कंडिका अनुसार

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

वादप्रश्न क्रमांक—1 का निराकरण

यह साबित करने का भार वादी पर है कि विवादित भूमि पर उसका आधिपत्य है और उसके आधिपत्य में प्रतिवादी क्रमांक-1 के द्वारा अवैध रूप से हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जा रहा है। वादी ने अपने समर्थन में विवादित भूमि का खसरा फार्म वर्ष 2014-15 की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी-1 पेश की है, जिसमें भूमि स्वामी के रूप में वादी का नाम दर्ज होना प्रकट होता है। प्रतिवादी क्रमांक-1 के द्वारा प्रस्तुत अनुविभागीय अधिकारी बैहर के द्वारा राजस्व प्रकरण में पारित आदेश दिनांक—26.04.2013 की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श डी-1 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा धारा—145 द.प्र.सं. की जांच कार्यवाही में विवादित भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक—1 का तीन-चार साल से वादी ने कब्जा होना स्वीकार करने अनावेदक के कब्जे में आवेदिका को दखल देने से रोका गया है 🔃

वादी सम्हारोबाई (वा.सा.1) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वह ग्राम खुर्शीपार से शादी होकर ग्राम बेहराखार चली गई थी। यद्यपि साक्षी का स्वतः कथन है कि विवादित भूमि पर उसका कब्जा था तथा वह शादी होने के दो-तीन साल बाद तक ग्राम बहेराखार में रही और उसके पिता के देहान्त होने पर वापस ग्राम खुर्शीपार आ गई थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि विवादित भूमि भू-दान यज्ञ मण्डल से उसके पिता को प्राप्त हुई थी, उसे प्राप्त नहीं हुई थी। यदि उक्त भूमि उसे प्राप्त होने वाली बात लिखी हो तो वह गलत है। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसके द्वारा प्रतिवादी के

विरुद्ध तहसीलदार बैहर के न्यायालय के समक्ष वर्ष 2005 में आवेदन पेश किया गया था तथा उक्त प्रकरण वह हार गई थी, जिसके बाद उसने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदन पेश किया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव से इंकार किया कि प्रतिवादी का विवादित भूमि पर कब्जा चला आ रहा है, किन्तु प्रतिपरीक्षण की कंडिका 9 में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि प्रतिवादी ने विवादित भूमि पर कब्जा कर लिया है और वह उसके विरुद्ध वर्ष 2005 से केस करते चले आ रही है। साक्षी ने कंडिका 10 में यह भी स्वीकार किया कि उसने विवादित भूमि का प्रतिवादी से कब्जा नहीं मांगी है। इस प्रकार साक्षी के उक्त कथन से यह स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि पर उसका आधिपत्य न होकर प्रतिवादी का वर्ष 2005 से आधिपत्य चला आ रहा है।

- 9— बलदेव सिंह (वा.सा.2) ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वादी शादी होने के उपरान्त बेहराखार गई थी और वर्ष 2005 में खुर्शीपार आई थी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 5 में यह स्वीकार किया कि उसके सामने वादी और प्रतिवादी के बीच में कोई विवाद नहीं हुआ, किन्तु साक्षी ने आगे यह भी स्वीकार किया कि उभयपक्ष के बीच विवादित भूमि को लेकर कई वर्षी से विवाद चल रहा है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि शिवदयाल की रिपोर्ट पर पुलिसवालों ने उसे सम्हारोबाई से फसल वापस दिलाए थे। साक्षी का स्वतः कथन है कि पहले सम्हारोबाई ने बोई थी, बाद में शिवदयाल ने बोया था।
- 10— साक्षी नसीब सिंह (वा.सा.3) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि विवादित भूमि के संबंध में उभयपक्ष के मध्य पहले से विवाद चल रहा है और प्रतिवादी ने वादी की भूमि पर कब्जा कर लिया था, जिसके कब्जे के लिए तहसीलदार बैहर के समक्ष वादी ने आवेदन पेश किया था, जिसमें वादी हार गई थी। इस प्रकार उक्त वादी साक्षीगण के कथन से भी यही प्रकट होता है कि विवादित भूमि पर प्रतिवादी का ही कब्जा चला आ रहा है।
- 11— प्रतिवादी शिवदयाल (प्र.सा.1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में अभिवचन के अनुरूप कथन किया है, जिसके प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का खण्डन वादी पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। इसी प्रकार प्रतिवादी के अन्य साक्षी रामलाल (प्र. सा.2) ने भी प्रतिवादी का समर्थन करते हुए कथन किये हैं, जिसके प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का खण्डन नहीं हुआ है। इस प्रकार प्रतिवादी साक्षीगण की मौखिक साक्ष्य से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि विवादित भूमि पर प्रतिवादी का कब्जा चला आ रहा है।

12— प्रकरण में प्रस्तुत संपूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि विवादित भूमि पर वादी का आधिपत्य नहीं होकर विवादित भूमि पर प्रतिवादी कमांक—1 का ही आधिपत्य होना प्रकट होता है। ऐसी दशा में प्रकरण में वादी का विवादित भूमि पर आधिपत्य प्रमाणित न होने से प्रतिवादी कमांक—1 के द्वारा विवादित भूमि पर अवैध हस्तक्षेप किया जाना भी प्रमाणित नहीं होता है। अतएव वादप्रश्न कमांक—1 "प्रमाणित नहीं" के रूप में निराकृत किया जाता है।

सहायता एवं व्यय

13— विवादित भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक—1 के कथित हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु वादी को विवादित भूमि पर अपना आधिपत्य प्रमाणित करना आवश्यक था। विवादित भूमि पर वादी का आधिपत्य प्रमाणित न होने से वादी स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का हकदार नहीं है। इसके अलावा प्रतिवादी क्रमांक—1 का विवादित भूमि पर आधिपत्य होने से वादी को वाद में भूमि—स्वामी के रूप में विवादित भूमि का रिक्त आधिपत्य दिलाए जाने के अनुतोष की मांग की जानी थी, जिसके अभाव में भी प्रतिवादी क्रमांक—1 के विरुद्ध मात्र स्थाई निषेधाज्ञा का वाद निरस्त किये जाने योग्य है।

14— वादी ने अपना वाद प्रमाणित नहीं किया है। अतएव वादी का वाद निरस्त कर वाद में निम्नानुसार आज्ञप्ति पारित की जाती है:—

- (1) वादी का दावा निरस्त किया जाता है।
- (2) वादी स्वयं के साथ प्रतिवादीगण का भी वाद व्यय वहन करेगी तथा अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर नियमानुसार देय होगी।

उपरोक्तानुसार आज्ञप्ति तैयार की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया। मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली) व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, बैहर के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, बैहर

(सिराज अली)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, बैहर के
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2,
बैहर